

बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा

(जमानत रक्षा) - एम एल टी

ई सी जी सी लिमिटेड

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: एक्सप्रेस टॉवर, 10^{वीं} मंजिल, पोस्ट बॉक्स नं 373

नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.

बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा की यह रक्षा - जमानत रक्षा (ई सी आई बी - एस सी) (जिसे इसके बाद "रक्षा" कहा जाएगा) ई सी जी सी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "निगम" कहा जाएगा) द्वारा अनुसूची में नामित बीमित को अनुसूची में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर जारी किया गया है।

यतः बीमित बीमित ने लिखित रूप से एक प्रस्ताव रखा है जिसमें निगम से अनुरोध किया है कि इसके बाद परिभाषित कतिपय जोखिमों के कारण से बीमित को होने वाले नुकसान के लिए उन्हें जारी गारंटी और/या साख पत्र के संबंध में अनुसूची में नामित उनके ग्राहक/कस्टमर (निर्यातक) की ओर से और उसमें यथा उल्लिखित उद्देश्य के लिए भी नुकसान के प्रतिशत पर बीमा किया जाए,

और यतः बीमित ने निर्यातकों की ओर से उनके द्वारा जारी गारंटियों और/या साख पत्रों से होने वाले नुकसान के जोखिमों पर इस रक्षा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करना आफर किया है। केवल अनुसूची में विनिर्दिष्ट बीमित के ऋण के हिस्से को छोड़कर जिसे बाहर रखा गया है।

और यतः बीमित वारंटी, परंतुकों, निबंधन एवं शर्तों, इस रक्षा की सीमाओं और अपवर्जनों सहित सभी शर्तों से राहगार हैं और निगम को अनुसूची में विनिर्दिष्ट संसाधन शुल्क और प्रीमियम का भुगतान किया है।

अतएव, अब, बीमित द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट संसाधन शुल्क और प्रीमियम के भुगतान पर विचार करके और इस रक्षा के अंतर्गत देय अगले प्रीमियम के भुगतान के वादे पर और अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर निगम एतद्वारा वारंटियों, परंतुकों, निबंधन एवं शर्तों, उपर्युक्त संदर्भित सीमाओं और अपवर्जनों के अधीन बीमित का बीमा करता है और इसके नीचे यथा उल्लिखित लाभ के प्रतिशत पर निम्नलिखित जो बीमित को किसी बीमित ऋण या उसके भाग के निर्यातक

EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS

(SURETY COVER) - MLT

E C G C LIMITED

(Formerly EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LTD.)

**Regd. Office: Express Towers, 10th Floor, Post Box No. 373
Nariman Point, Mumbai - 400 021.**

This, Export Credit Insurance Cover for Banks - Surety Cover (ECIB-SC) (hereinafter called "Cover") issued by the E C G C Limited (hereinafter called "The Corporation") to the Insured named in the Schedule on the date and at the place specified in the Schedule.

WHEREAS the Insured has made a proposal in writing, requesting the Corporation to insure it against a percentage of loss, which the Insured may suffer by reason of certain risks hereinafter defined, in respect of Guarantees and/or Letters of Credit issued by them, on behalf of their client/customer (**Exporter**) as named in the Schedule and also for the purpose as mentioned therein.

AND WHEREAS the Insured has offered to avail indemnity under this Cover against the risks of loss arising from Guarantees and / or Letters of Credit issued by them on behalf of the **Exporters** save and except the part of **Insured Debt** specified in the Schedule as excluded.

AND WHEREAS the Insured has agreed to all the terms including the warranties, provisos, terms and conditions, limitations and exclusions of this Cover and has paid to the Corporation processing fee and premium specified in the Schedule.

NOW, THEREFORE, in consideration of the processing fee and premium as specified in the Schedule paid by the Insured and the promise to pay further premium payable under this Cover and at the rates specified in the schedule, the Corporation hereby insures the Insured subject to and in accordance with warranties, provisos, terms and conditions, limitations and exclusions referred to above and reduced to writing, against a percentage of loss as mentioned herein-below that may be sustained by the Insured due to the failure of the

के भुगतान करने की विफलता के कारण बीमित को हो। ऐसे भुगतान न करने का कारण दीर्घकालिक चूक और/या केवल निर्यातक के दिवालियापन के अलावा और कुछ न हो।

व्याख्या के लिए टिप्पणियां

- शीर्षकों को केवल संदर्भ की आसानी के लिए प्रयुक्त किया गया है जिन्हें इस रक्षा की शर्तों के रूप में ध्यान न दिया जाए;
- बड़े अक्षरों में दिखाए गए शब्दों के निर्माण में उस शब्द की परिभाषा केवल इस दस्तावेज में प्रासंगिक होगी और इस रक्षा की व्याख्या के लिए लागू होगी;
- इस रक्षा में एक बचन में बहु बचन शामिल है, पुलिंग में स्त्रीलिंग शामिल है, एनिमेट में इनएनिमेट शामिल है और इसका विलोम;
- 'सामग्री का निर्यात' शब्द जब निर्यात या निर्यात की प्राप्तियों के संबंध में प्रयुक्त हो तो इसमें 'सेवाओं का निर्यात' भी शामिल होगा;
- अनुसूची/अनुसूचियों के संदर्भ यथा संशोधित, सुधारित या फिर से सुधारे गए इस रक्षा के संबंधित अनुसूची/अनुसूचियों के संदर्भों के लिए निर्मित किए जाएंगे और प्रासंगिक समय पर प्रयोज्य और वैध होंगे;
- बीमित द्वारा रक्षा के अंतर्गत किन्हीं अपेक्षाओं के निष्पादन के संबंध में जहां कहीं समय विहित हो, महत्वपूर्ण होगा;
- ज्ञान, सूचना, विश्वास या बीमित की जानकारी या बीमित से संबंधित किसी व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञान, सूचना, विश्वास या बीमित की जानकारी शामिल हुई मानी जाएगी। बीमित से आशा की जाती है कि उसे सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति से प्रत्याशित सभी सावधानियों के बाद की गई पूछताछ और जांच के बाद सभी सूचनाओं की विधिवत जांच पर ऐसी जानकारी, सूचना, विश्वास या जानकारी दी है;

Exporter to repay to the Insured any **Insured Debt** or part thereof, the cause of such non-repayment being none other than **Protracted Default** and/or the **Insolvency** of the **Exporter** only.

Notes for Interpretation

- Headings are used for ease of reference only and are to be disregarded in construing the terms of this Cover;
- In construing the word shown in **bold** letter, the definition given to that word in this document only would be relevant and applicable for the purpose of interpretation of this Cover;
- In this Cover the singular includes the plural, masculine includes the feminine, animate includes the inanimate and vice versa;
- The term 'export of goods' when used in relation to exports or export receivables might also include 'export of services';
- References to Schedule/s shall be construed to be references to the respective schedule/s to this Cover as amended, modified or revised and applicable and valid at the relevant point of time;
- Time wherever stipulated in relation to the performance of any of the requirements under the Cover by the Insured, is of essence;
- References to the knowledge, information, belief or awareness of the Insured or of any person connected to the Insured shall be deemed to include knowledge, information, belief or awareness of the Insured. The insured will be expected to have such knowledge, information, belief or awareness upon due examination of all information after making all due diligence inquiries and investigations that is expected of a person of ordinary prudence.

भाग - I परंतुक

1. परंतुक

हमेशा यह उपबंधित हो कि निगम किसी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा :

- 1.1 यदि बीमित निगम के लिखित रूप से बिना पूर्व सहमति के निर्यातक द्वारा बीमित ऋण या उसके भाग के भुगतान की तारीख को स्थगित करने/आस्थगित करने/फिर से निर्धारित करने पर सहमत होता हो;
- 1.2 यदि बीमित निगम के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना निर्यातक से समझौता करे या व्यवस्था करे या समायोजन स्वीकार करे;
- 1.3 यदि बीमित द्वारा इस रक्षा के अंतर्गत कोई अधिकार निगम के बिना पूर्व अनुमोदन के किसी अन्य को समनुदेशित किया जाए;
- 1.4 यदि बीमित इस दस्तावेज के खंड 9 के संबंध में चूक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे;
- 1.5 जिसके लिए खंड 9 के अनुसार यथापेक्षित दायर किए जाने के लिए चूक रिपोर्ट की तारीख से छः महीनों के भीतर निगम द्वारा विहित प्रपत्र लिखित रूप से इसे दावा न किया गया हो;
- 1.6 यदि, निर्यातक और खरीदार/लाभार्थी के बीच की संविदा में कोई भी निबंधन एवं शर्त या उसका निष्पादन अवैध और/या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लागू करने योग्य न हो;
- 1.7 यदि बीमित द्वारा जारी गारंटियां और/या साख पत्र या कोई निबंधन एवं शर्त या उनका निष्पादन पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवैध और/या लागू करने योग्य न हो;
- 1.8 गारंटी या साख पत्र (उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश) के लिए लागू वैधानिक या विनियामक प्रावधान बीमित या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति के अनुपालन की विफलता के कारण बशर्ते, यद्यपि यह अपवर्जन गारंटी और/या साख पत्र जारी करने के बाद किन्हीं परिवर्तनों पर लागू नहीं होंगे;
- 1.9 इसके-नीचे खंड 2.4 में विनिर्दिष्ट रक्षित हानि के प्रतिशत के अलावा हानि की उतनी मात्रा के संबंध में;
- 1.10 जब गारंटी या साख पत्र भारतीय रुपयों के अलावा किसी अन्य मुद्रा में जारी की गई हो, तो गारंटी और/या साख पत्र की मुद्रा और भारतीय रुपए के बीच गारंटी और/या साख पत्र जारी करने की तारीख से गारंटी और/या साख पत्र आहूत करने की तारीख तक विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण बीमित को हुए नुकसान के संबंध में;
- 1.11 निर्यातक द्वारा बकाया बीमित ऋण या उसके भाग पर देय किसी ब्याज/चूक ब्याज/दंडात्मक ब्याज के संबंध में या जब गारंटी और/या साख पत्र का विदेशी मुद्रा मूल्य

PART - I PROVISOS

1. Provisos

PROVIDED ALWAYS that the Corporation shall not be liable for any loss:

- 1.1 if the Insured agrees to postponement/deferment/rescheduling of the date of payment of any **Insured Debt** by the **Exporter** or part thereof, without the prior consent in writing of the Corporation;
- 1.2 if the Insured accepts a compromise or arrangement or settlement with the **Exporter**, without the prior approval in writing of the Corporation;
- 1.3 if any right under this Cover is assigned by the Insured, to anyone, without the prior approval in writing by the Corporation;
- 1.4 if the insured fails to submit a Report of Default in terms of Clause 9 of this document;
- 1.5 for which a claim has not been made to the Corporation in writing in the form prescribed by it within six months from the date of Report of Default as required to be filed as per Clause 9;
- 1.6 if, in the **Contract** between the **Exporter** and the **Buyer/Beneficiary**, any of the terms and condition or the execution thereof are/or is illegal and/or unenforceable either wholly or in part;
- 1.7 if the Guarantees and/or Letters of Credit issued by the Insured or any of the terms and conditions or the execution thereof are or is illegal and/or unenforceable either wholly or in part;
- 1.8 caused by failure on the part of the Insured or a person acting on its behalf to comply, with legislative or regulatory provisions applicable to the Guarantee or Letter of Credit (for example, RBI Guidelines) provided however, this exclusion shall not apply to any changes subsequent to issue of Guarantees and/or Letters of Credit;
- 1.9 in respect of so much of the amount of loss over and above the Percentage of Loss Covered specified in clause 2.4 herein-below;
- 1.10 in respect of any loss suffered by the Insured owing to exchange rate fluctuation between the currency of Guarantees and/or Letters of Credit and Indian Rupees, from the date of issue of Guarantees and/or Letters of Credit to the date of invocation of Guarantees and/or Letters of Credit when the Guarantee or Letter of Credit has been issued in any currency other than Indian Rupees;
- 1.11 in respect of any interest/default interest/penal interest on the outstanding **Insured Debt** or part thereof payable by the **Exporter** or any delinking/crystallization charges payable by the **Exporter** when the

भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया जाए तो निर्यातक द्वारा देय कोई डिलिक्विंग/क्रिस्टलाइजेशन प्रभार;

1.12 यदि बीमित को बीमित ऋण या उसके भाग का भुगतान करने के लिए निर्यातक का दायित्व विवादित हो।

भाग - II निबंधन एवं शर्तें

2. सामान्य विवरण

2.1 रक्षा का प्रारंभ

यह रक्षा प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से या प्रीमियम के भुगतान की तारीख में से जो भी बाद में हो, ये तारीख अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हों, प्रारंभ होगी।

2.2 रक्षा की अवधि

“रक्षा की अवधि” का अर्थ है अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवधि और जो बीमित द्वारा जारी गारंटियों और/या साख पत्रों की वैधता अवधि होगी। यदि बीमित द्वारा जारी गारंटियां और/या साख पत्र जब अनुसूची में विनिर्दिष्ट रक्षा की उप अवधि पूर्ण होने के पहले किसी भी समय उनके प्रावधानों के अनुसार समाप्त हों, तो इस रक्षा के प्रारंभ की तारीख और ऐसी गारंटियों और/या साख पत्रों की बर्खास्तगी की तारीख के बीच समाप्ति की अवधि रक्षा अवधि निर्मित करेगी। यदि बीमित द्वारा गारंटियों और/या साख पत्रों की वैधता बढ़ायी जाती है और निगम गारंटियों और/या साख पत्रों की संवर्धित वैधता अवधि के लिए इस रक्षा को लिखित रूप में बढ़ाने पर सहमत हो तो रक्षा अवधि में रक्षा की यह संवर्धित अवधि शामिल होगी जो अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान और रक्षा अवधि के विस्तार के समय निगम द्वारा विहित ऐसी अगली शर्तों और विनिर्देशनों के अनुपालन के अधीन होगी।

- Foreign Currency value of Guarantees and/or Letters of Credit is converted into Indian rupees;
- 1.12 if the liability of the **Exporter** to pay to the Insured, the **Insured Debt** or any part thereof is disputed.

PART - II TERMS AND CONDITIONS

2. General Particulars

2.1 Commencement of Cover

This Cover shall commence either from the date of receipt of proposal or from the date of payment of premium whichever is later, with this date being specified in the Schedule.

2.2 Period of Cover

The "Period of Cover" means the period specified as such in the Schedule and which shall be the extant period of validity of the Guarantees and/or Letters of Credit issued by the Insured. In the event, the Guarantees and/or Letters of Credit issued by the Insured are getting terminated in accordance with the provisions thereof at any time prior to the completion of the said Period of Cover specified in the Schedule, the period lapsed between the date of commencement of this Cover and the date of termination of such Guarantees and/or Letters of Credit shall constitute the Period of Cover. In the event of validity of the Guarantees and/or Letters of Credit being extended by the Insured and the Corporation agrees in writing to extend this Cover for the extended validity period of the Guarantees and/or Letters of Credit, the Period of Cover shall include this extended Period of Cover, subject to payment of additional premium and compliance of such further conditions and stipulations as may be stipulated by the Corporation at the time of extension of Period of Cover.

2.3 रक्षित राशि

इस रक्षा के अंतर्गत रक्षित राशि गारंटियों और/या साख पत्रों का मूल्य होगा, अर्थात् बीमित ऋण और बीमित द्वारा देय प्रीमियम की राशि की गणना के लिए आधार निर्मित करेगा।

2.4 रक्षित नुकसान का प्रतिशत

इस रक्षा के अंतर्गत निगम द्वारा देय नुकसान का प्रतिशत बीमित ऋण का _____% होगा और बीमित शेष नुकसान अपने खुद के खाते में अनुरक्षित करेगा और बीमित नहीं होगा:

2.4.1 इस रक्षा के अंतर्गत रक्षित (अर्थात् _____ %) नुकसान के उक्त प्रतिशत के अलावा उतना नुकसान और/या।

2.4.2 इसके अंतर्गत खंड 8 में यथा परिभाषित अधिकतम दायित्व के अलावा नुकसान के किसी शेष की उतनी राशि।

2.5. रक्षित जोखिम

निगम एतद्वारा, बीमित का बीमा करता है, जो वारंटियों, परंतुकों, निबंधन एवं शर्तों, उपर्युक्त संदर्भित सीमाओं और अपवर्जनों के अधीन और उनके अनुसार होगा जो इस रक्षा में लिखित होगा, यह नुकसान बीमित को किसी बीमित ऋण या उसके भाग को वापस करने में निर्यातक की विफलता के कारण बीमित को खंड 2.4 के अनुसार नुकसान के प्रतिशत पर होगा। ऐसी वापसी का कारण दीर्घ चूक और/या निर्यातक के केवल दिवालिएपन के अलावा किसी अन्य के होने से नहीं होगा।

3. बीमित का दायित्व

3.1 प्रस्ताव

बीमित द्वारा किया गया प्रस्ताव इस रक्षा में समाविष्ट संविदा का मूल तत्व और आधार के रूप में निगम द्वारा अभिव्यक्त रूप से स्वीकार किया गया है। बीमित से एतद्वारा अपेक्षा है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के प्रस्ताव में किया गया कथन प्रस्ताव की तारीख को सही थे और उस तारीख को जब निगम यह रक्षा जारी करने के लिए सहमत था और जारी किया था। लेकिन यह शर्त इससे यह नहीं समझा जाना

2.3 Amount Covered

The amount covered under this Cover shall be the value of Guarantees and/or Letters of Credit, that is, the **Insured Debt** and shall form the basis for calculation of the amount of premium payable by the Insured.

2.4 Percentage of Loss Covered

The percentage of loss payable by Corporation under this Cover is ____% of **Insured Debt** and the Insured shall retain the balance loss for his own account and uninsured:

2.4.1 so much of the loss over and above the said percentage of loss covered (i.e. ____%) under this Cover; and/or

2.4.2 so much of any balance of the loss over and above the Maximum Liability as defined in Clause 8 hereunder.

2.5 Risk Covered

The Corporation hereby insures the Insured, subject to and in accordance with warranties, provisos, terms and conditions, limitations and exclusions referred to above and reduced to writing in this Cover, against a percentage of loss as per Clause 2.4 that may be sustained by the Insured due to the failure of the **Exporter** to repay to the Insured any **Insured Debt** or part thereof, the cause of such non-repayment being none other than **Protracted Default** and/or the **Insolvency** of the **Exporter** only.

3. Obligations of Insured

3.1 Proposal

The proposal made by the Insured is expressly accepted by the Corporation as being the essence and the basis of the contract contained in this Cover and by accepting this Cover, the Insured hereby warrants that, to the best of his knowledge and belief, the statements made in the proposal were true on the date of the proposal and on the date when the Corporation agreed to issue and issued this Cover but this condition is not to be construed as limiting the obligations imposed on the Insured by

चाहिए कि विधि द्वारा बीमित पर समय-समय पर प्रस्ताव की तारीख से और सभी युक्तिसंगत सावधानी बरतते हुए, तत्परता और समझदारी से सभी वास्तविक परिस्थितियां जो बदल गई हों, निगम को प्रकट करने में उसके दायित्व को सीमित नहीं करती और हर समय सामान्य रूप से अत्यधिक सदासैयता दिखाना और इस रक्षा के अंतर्गत निगम के दायित्व को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी तथ्यों को तत्काल प्रकट करने जब उसे उसकी जानकारी मिले तक सीमित नहीं है। यदि प्रस्ताव में समाविष्ट कोई भी कथन असत्य हो या किसी तरह गलत हो तो यह रक्षा शून्य होगी और निगम भुगतान किए गए किसी प्रीमियम को रख लेगा।

3.2 नियत सावधानी एवं समझदारी

- 3.2.1 बीमित की यह इयूटी होगी कि **निर्यातक** की ओर से गारंटियों और/या साख पत्र जारी करने में नियत और युक्तिसंगत सावधानी और समझदारी बरते और यह भी सुनिश्चित करे कि गारंटियों और/या साख पत्रों के बल पर **निर्यातक** द्वारा प्राप्त निधि उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की जाएं जिसके लिए परस्पर संविदाओं के अनुसार प्राप्त की गई हों। यह समय-समय पर इसके लिए आवश्यक शर्तों और सुरक्षा विहित करके तथा जब कभी आवश्यक समझा जाए **बीमित ऋण** के संबंध में जिसके लिए इसमें रक्षा का उपबंध है। बीमित द्वारा धारित प्रतिभूतियों को लागू करके। बीमित गारंटी अवधि और/या साख पत्र की अवधि में सभी आवश्यक सावधानी और समझदारी दिखाता रहेगा जब तक नियत अनुपालन द्वारा गारंटियां और/या साख पत्र डिस्चार्ज नहीं हो जाता।
- 3.2.2 निगम द्वारा बीमित इस रक्षा के अंतर्गत देय दावे के भुगतान के अनुसरण में बीमित की यह इयूटी होगी कि **निर्यातक** से बीमित ऋण की उपयुक्त वसूली करे और प्रभावी रूप से रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करे और निर्यातक से वसूली के ऐसे विधिक अधिकारों का पर्याप्त रूप से प्रयोग करे, जिससे किसी तकनीकी, क्रियाविधिक या अन्य कमजोरी या बिलंब द्वारा जोखिम में न पड़े।

4. प्रीमियम

- 4.1 प्रीमियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर संपूर्ण **बीमित ऋण** का नैमित्तिक है और इस रक्षा को जारी करने के पहले अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा।
- 4.2 बीमित से रक्षा के विस्तार या संवर्धन के लिए या किसी ऐसी अन्य परिस्थिति के लिए अनुरोध के कारण इस रक्षा के अंतर्गत देय कोई अगला प्रीमियम निगम

law to disclose to the Corporation from time to time all material circumstances which has changed from the date of proposal and to exercise all reasonable care, diligence and prudence and generally to observe the utmost good faith at all times and to disclose all facts directly or indirectly in any way affecting the liability of the Corporation under this Cover, immediately on his becoming aware thereof. If any of the statements contained in the proposal be untrue or incorrect in any respect, this Cover shall be void and the Corporation will retain any premium that has been paid.

3.2 Due Care and Prudence

3.2.1 It shall be the duty of the Insured to exercise due and reasonable care and prudence in issuing the Guarantees and/or Letters of Credit on behalf of the **Exporter** as also ensuring that the funds obtained by the **Exporter** on the strength of Guarantees and/or Letters of Credit are utilized for the purpose for which they are obtained as per the **Contracts** inter se, by stipulating conditions and safeguards necessary for the purpose, from time to time and also whenever considered necessary ensuring enforcement of the securities held by the Insured for and in connection with the **Insured Debt** for which Cover is provided herein. The Insured shall continue to exercise all the necessary care and prudence for the period of Guarantees and/or Letters of Credit, till the Guarantees and/or Letters of Credit is discharged by due compliance.

3.2.2 Pursuant to payment of claim due under this Cover by the Corporation to the Insured, it shall be the duty of the Insured to properly enforce recovery of Insured Debt from the **Exporter** and take all necessary measures to safeguard effectively and sufficiently such legal rights of recovery from the **Exporter** from being jeopardized by any technical, procedural or other infirmity or delay.

4. Premium

4.1 Premium is incident on the entire **Insured Debt** at the rates specified in the Schedule and shall be paid in advance before the issuance of this Cover.

4.2 Any further Premium payable under this Cover by reason of a request from the Insured for extension or enhancement of Cover

द्वारा बीमित को इस संबंध में सूचित राशि के अनुसार बीमित द्वारा भुगतान किया जाएगा।

- 4.3 इस रक्षा के खंड 4.2 और बीमा अधिनियम, 1938 के खंड 64Vख के अनुसार अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर प्रीमियम का नियत भुगतान और इस रक्षा की अन्य निबंधन एवं शर्तों तथा परंतुकों का अनुपालन इस रक्षा के अंतर्गत निगम द्वारा किसी दायित्व की स्वीकार्यता की पूर्व शर्त होगी।

5. अधिकार का समनुदेशन

बीमित द्वारा इस रक्षा से होने वाले किसी अधिकार या लाभ का समनुदेशन निगम के केवल लिखित सहमति से स्वीकृत होगा और यदि समनुदेशन का तरीका निगम द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित किया गया हो।

6. दायित्व का अपवर्जन एवं सीमाएं

- 6.1 किसी निर्यातक से प्राप्त और बकाया किसी बीमित ऋण के संबंध में इस रक्षा के अंतर्गत निगम द्वारा देय राशि _____ % की सीमा से अधिक नहीं होगी, जो बीमित के संबंधित नियमों, अनुदेशों और ऐसी सीमा की मंजूरी के नियंत्रक दिशानिर्देशों के अनुसार गारंटियां और/या साख पत्र जारी करने के लिए बीमित के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत मंजूर किया गया हो और प्रस्ताव के साथ निगम को विनिर्दिष्ट किया गया हो। हालांकि ऐसी राशि किन्हीं भी परिस्थितियों में इस रक्षा के अंतर्गत यथा परिभाषित अधिकतम दायित्व से अधिक नहीं होगी।
- 6.2 खरीदार/लाभार्थी द्वारा गारंटियों और/या साख पत्रों के आहूत करने पर बीमित ऋण के भुगतान से बीमित को होने वाला कोई नुकसान और बीमित के पास अनुरक्षित निर्यातक के खाते से बीमित ऋण की डेबिट न की गई राशि और बीमित के यहां अनुरक्षित निर्यातक के खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर निष्पादन आस्ति (एन पी ए) के घोषित न होने पर निगम के दायित्व के दायरे से अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित है।

or any such other circumstance shall be paid by the Insured in accordance with the amount in this regard informed to the Insured by Corporation.

- 4.3 Due payment of premium in accordance with Clause 4.2 of this Cover and Section 64 VB of the Insurance Act, 1938 at the rate specified in the Schedule and observance of all the other terms and conditions and provisos of this Cover are conditions precedent to acceptance of any liability by the Corporation under this Cover.

5. **Assignment of Right**

Assignment of any right or benefits arising out of this Cover by the Insured shall be permitted only with the written consent of the Corporation and if the form of assignment has been approved in writing by the Corporation.

6. **Exclusion and Limitation of Liability**

- 6.1 The amount payable by the Corporation under this Cover in respect of any **Insured Debt** due and outstanding from an **Exporter** shall not exceed ____ % of limit duly sanctioned by a competent authority of the Insured for issuing Guarantees and/or Letters of Credit in accordance with the Insured's extant rules, instructions and guidelines governing the sanction of such limit and as specified to the Corporation along with the proposal. However such amount shall under no circumstances exceed the Maximum Liability as defined under this Cover.
- 6.2 Any loss that the Insured may suffer by payment of **Insured Debt** on invocation of Guarantees and/or Letters of Credit by the **Buyer/Beneficiary** and the amount of **Insured Debt** has not been debited to the account of the **Exporter** maintained with the Insured and that the account of the **Exporter** maintained with the Insured has not been declared Non Performing Asset (NPA) as per RBI Guidelines, is expressly excluded from the purview of Corporation's liability.

8.

अधिकतम दायित्व

इस रक्षा में और/या इसकी अनुसूचियों में अन्यत्र किसी उल्लेख के न होते हुए भी इस रक्षा के अंतर्गत निगम का अधिकतम दायित्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा, जो इस रक्षा में निगम के अनुमोदन से किए गए पृष्ठांकन के अनुसार उसमें किसी संवर्धन या कटौती और संवर्धित रक्षा के लिए प्रीमियम के भुगतान के अधीन होगा।

9.

चूक की रिपोर्ट

यदि बीमित द्वारा जारी गारंटियों और/या साख पत्रों को खरीदार/लाभार्थी द्वारा आहूत कर लिया जाए और बीमित उक्त गारंटियों और/या साख पत्रों के अंतर्गत अपने भुगतान दायित्वों का सम्मान करे तो बीमित को रिकाल की तारीख से 30 दिनों के भीतर चूक की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अर्थात् तारीख जब निर्यातक को पहली बार बीमित द्वारा भुगतान करने के लिए बुलाया गया या निगम द्वारा अनुमोदित इस रक्षा की समाप्ति से चार महीनों के भीतर, में से जो भी पहले हो।

10.

दावे

- 10.1 खरीदार/लाभार्थी द्वारा आहूत किए जाने वाली गारंटियों और/या साख पत्रों पर और बीमित द्वारा उक्त गारंटियों और/या साख पत्रों के अंतर्गत पूरे किए जाने वाले भुगतान दायित्वों पर और निर्यातक से बीमित द्वारा वापस लिए जाने वाले बीमित ऋण या उसके किसी भाग तथा निर्यातक के दिवालिया होने पर या दीर्घ चूक पर बीमित इस रक्षा के अंतर्गत बीमित ऋण या उसके किसी भाग के संबंध में दावा करने का हकदार होगा, जो केवल दिवालियेपन या लंबी चूक के कारण हुआ हो (किसी अंतरिम भुगतान या वसूलियों को हमेशा ध्यान में रखते हुए के अधीन) तत्पश्चात् निगम बीमित को भारतीय रुपए में रक्षित (इसके खंड 2.4 में यथा संदर्भित) नुकसान के प्रतिशत का भुगतान करेगा। विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त बीमित ऋण इसके लिए प्रीमियम की गणना के उद्देश्य से अनुसूची में दिए गए विनिमय दर पर अथवा नुकसान के पता लगने की तारीख को मुंबई में बैंक टी टी बिक्री की विनिमय दर पर इनमें से जो भी भारतीय रुपयों के संबंध में निम्नतर राशि होगी पर भारतीय रुपयों में परिवर्तित की जाएगी।

8. **Maximum Liability**

Notwithstanding anything stated elsewhere in this Cover and/or its schedule, the Maximum Liability of the Corporation under this Cover shall not exceed the amount specified in the schedule but subject to any enhancement or reduction made thereto with the approval of the Corporation by an endorsement made to this Cover and payment of premium for the enhanced cover.

9. **Report of Default**

In the event of the Guarantees and/or Letters of Credit issued by the Insured being invoked by the **Buyer/Beneficiary** and the Insured honoring its payment obligations under the said Guarantees and/ or Letters of Credit, the Insured has to submit a Report of Default within 30 days from the date of recall i.e. the date on which the **Exporter** is first called upon to pay by the Insured or within four months from the expiry of this Cover approved by the Corporation, whichever is earlier.

10. **Claims**

- 10.1 Upon the Guarantees and/or Letters of Credit being invoked by the **Buyer/Beneficiary** and payment obligations under the said Guarantees and/or Letters of Credit being met by the Insured and on **Insured Debt** or any part thereof being recalled by the Insured from the **Exporter** and there is occurrence of **Insolvency** or **Protracted Default** of the **Exporter**, the Insured shall be entitled to make a claim under this Cover in respect of the **Insured Debt** or any part thereof, arising by reason of such **Insolvency** or **Protracted Default** only and (subject always to taking into account any interim payments and recoveries) the Corporation shall thereafter pay to the Insured the percentage of loss covered (as referred to in the clause 2.4 hereto) in Indian Rupees. The **Insured Debt** expressed in foreign currency shall for this purpose be converted into Indian Rupees either at the exchange rate given in the Schedule for the purpose of premium calculation or at the Bank T.T. Selling Rate of Exchange in Mumbai as on the date of ascertainment of loss, whichever of the two is the lower amount in terms of Indian Rupees.

10.2 निगम नुकसान की राशि के पता लगने पर तुरंत और निगम द्वारा स्वीकृत होने पर बीमित को इस रक्षा के अंतर्गत देय दावे की राशि निम्न के अधीन भुगतान करेगा:-

- (क) बीमित द्वारा प्रस्तुत दावा फार्म हर तरह से पूर्ण हो और बीमित ने ऐसी सभी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत किए हों जो निगम की राय में नुकसान के कारण के सत्यापन, दावा फार्म में प्रस्तुत सूचना और यथार्थता, बीमित द्वारा सीमाओं की मंजूरी और प्रस्ताव पत्र में बीमित द्वारा किए गए प्रकटन या अन्यथा और ऐसे अन्य कारक आवश्यक हों;
- (ख) बीमित ने इस रक्षा के अंतर्गत यथा परिभाषित दीर्घ चूक या दिवालियेपन के होने के संबंध में निगम की संतुष्टि के अनुसार स्थापित किया हो, जैसी भी स्थिति और बीमित को भुगतान करने के लिए निर्यातक का दायित्व निर्विवाद हो।

10.2.1 जब निर्यातक के दिवालियेपन के कारण नुकसान हुआ हो, जब तक अन्यथा निगम द्वारा लिखित सहमति न हो, बीमित ऋण के वापस बुलाने की तारीख के बाद चार महीने अर्थात् तारीख जब बीमित द्वारा निर्यातक को पहली बार भुगतान के लिए कहा गया और निर्यातक गारंटियों और/या साख पत्रों के अंतर्गत भुगतान के दायित्व को पूरा कर पाने में विफल रहा या बीमित के पक्ष में दिवालिये की संपदा पर नुकसान स्वीकार्यता के बाद एक महीने तक दोनों तारीखों में से जो भी पहले हो, बशर्ते (1) बीमित निगम की राय में निगम को संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि बीमित ने निर्यातक के ऐसे दिवालियेपन पर एक वैध दावा दायर किया है और/या (2) वह निगम को लिखित रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि (i) उसने ऐसा कुछ नहीं किया है या अवहेलना नहीं की है जिससे दिवालियेपन न्यायालय द्वारा ऐसा दावा अस्वीकार किए जाने योग्य हो और (ii) उसने इस पॉलिसी की सभी शर्तों को ठीक से अपनाया है और इसमें विफल होने पर निगम पर भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

10.2.2 जब निर्यातक के दीर्घ चूक के कारण नुकसान हुआ हो, बीमित ऋण के वापस मांगने की तारीख से चार महीने पूर्ण होने के तुरंत बाद अर्थात् तारीख जब

10.2 The Corporation shall pay to the Insured the amount of claim payable under this Cover, immediately upon the amount of loss being ascertained and admitted by the Corporation subject however that :-:

- (a) the claim form submitted by the Insured is complete in all respects and the Insured has furnished all such information and documents that are essential in the opinion of the Corporation for the purpose of verifying the cause of loss, veracity and authenticity of information furnished in the claim form, sanctioning of the limits by the Insured and disclosures made by the Insured in the proposal form or otherwise and such other factors;
- (b) the Insured has established to the satisfaction of the Corporation the occurrence of either **protracted default or Insolvency** as defined under this Cover as the case may be and that the liability of the **Exporter** to pay to the insured is undisputed .

10.2.1 Where the loss is due to **Insolvency** of the **Exporter**, unless otherwise agreed to in writing by the Corporation, four months after the date of recall of **Insured Debt** i.e. the date on which the **Exporter** is first called upon to pay by the Insured, the **Exporter** has failed to meet the payment obligation under the Guarantees and/or Letters of credit or one month after the loss has been admitted to rank against the insolvents estate in favor of the insured whichever of the two dates is earlier; provided that (1) the insured shall deliver to the Corporation evidence, satisfactory in the opinion of the Corporation, that the insured has filed a valid claim on such **insolvency** of the **Exporter** and/or (2) that he shall deliver to the Corporation a declaration in writing that (i) he has done or omitted nothing whereby such claim is liable to be rejected by the Court in **Insolvency** and (ii) he has followed the terms of this policy completely in letter and spirit failing which there shall be no liability of the Corporation to make payment.

10.2.2 Where the loss is due to the **Protracted Default** of the **Exporter**, immediately after the expiry of four months from the date of recall of **Insured Debt** i.e. the date on which the **Exporter**

निर्यातक को पहली बार बीमित द्वारा भुगतान के लिए कहा गया हो तो निर्यातक को गारंटियों और/या साख पत्रों के अंतर्गत भुगतान करना आवश्यक है।

11. वसूली के चरण और वसूलियों की भागीदारी

- 11.1 निगम द्वारा इस रक्षा के अंतर्गत बीमित को देय दावे की राशि के भुगतान पर बीमित अपने खर्च से ऐसे सभी कदम उठाएगा जो आवश्यक हों, या शीघ्रता के लिए हों, या जिसे निगम किसी भी समय निर्यातक से या किसी अन्य व्यक्ति से जिससे ऐसी वसूली की जानी हो, यदि ऐसा आवश्यक हो तो सक्षम न्यायालय या अन्य उपयुक्त फोरम में विधिक या अन्य कार्यवाही सहित वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और निर्यातक या किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि की वसूली के लिए ऐसी कार्यवाहियों को अंतिम निष्पादन तक ले जाएगा।
- 11.2 बीमित ऋण या उसके भाग के संबंध में जिसके लिए निगम द्वारा बीमित को दावे का भुगतान किया गया हो तो बीमित द्वारा या निगम द्वारा किसी राशि की वसूली पर इसके नीचे खंड 12 के अधीन वसूल की गई राशि बीमित और निगम के बीच उसी अनुपात में बाटी जाएगी जिस अनुपात में उक्त बीमित ऋण की नुकसान राशि बीमित और निगम द्वारा सहन की गई थी।
- 11.3 बीमित अपने द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी राशि या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि इस तरह से वसूल होने पर संपूर्ण राशि निगम को तत्काल भुगतान कर देगा। बीमित एतद्वारा अभिस्वीकृती देता है और घोषित करता है कि जब तक निगम को ऐसा भुगतान नहीं हो जाता तब तक बीमित ऐसी राशि निगम के विश्वास पर धारित करेगा।
- 11.4 वसूलियों में निगम के हिरसे को उसे प्रेषित करने में बीमित की ओर से कोई बिलंब होने पर निगम को भारतीय स्टेट बैंक की अभिभावी दर या वसूली की तारीख से निगम को वारत्तविक प्राप्ति की तारीख तक की अवधि के लिए किसी अन्य समान दर पर निगम को उस पर ब्याज का दावा करने का हक होगा।

is first called upon to pay by the Insured, the **Exporter** was required to meet the payment under the Guarantees and/or Letters of credit.

11. **Recovery steps and sharing of recoveries**

- 11.1 Upon payment of the amount of claim due under this Cover by the Corporation to the Insured, the Insured shall, at his cost, take all steps which may be necessary or expedient or which the Corporation may at any time require to effect recoveries whether from the **Exporter** or from any other person from whom such recoveries may be made including, if so required, the institution of legal or other proceeding in a competent court of law or other appropriate forum and shall carry such proceedings to final execution for effecting **recovery** of the amount due from the **Exporter** or any other sources.
- 11.2 Upon **recovery** of any amount by the Insured or by the Corporation of any amount in respect of the **Insured Debt** or part thereof in respect of which a claim has been paid by the Corporation to the Insured, subject to clause 12 herein below, the amount recovered shall be shared between the Insured and the Corporation in the same proportion as the amount of loss on the said **Insured Debt** was borne by the Insured and the Corporation.
- 11.3 The Insured shall pay all sums so recovered to the Corporation forthwith upon such sums being received by him or by any other person on his behalf. The Insured hereby acknowledges and declares that until such payments are made to the Corporation the Insured shall receive and hold such sums in trust for the Corporation.
- 11.4 Any delay on the part of the Insured in remitting to the Corporation its share in the recoveries will entitle the Corporation to claim interest thereon at prevailing base rate of State Bank of India or any other similar rate for the period from the date of recovery to the date of actual receipt to the Corporation.

11.5 यदि निगम की राय में बीमित उपर्युक्त उक्त खंड 11.1 के अनुसरण में यथा आवश्यक सभी उपाय या कार्रवाईयां करने में विफल हो या उनकी अवहेलना किया हो या प्रभावी रूप से ऐसे उपाय करने में या इसे अंतिम निष्कर्ष तक लाने में कार्रवाई न किया हो तो बीमित ऋण या उसके भाग के संबंध में इस रक्षा के अंतर्गत निगम द्वारा बीमित को भुगतान की गई कोई राशि भारतीय स्टेट बैंक की अभिभावी आधार दर पर या किसी अन्य समान दर पर ब्याज सहित बीमित द्वारा निगम को देय होगी और वापस करनी होगी।

12.

वसूली के खर्च:

निगम की सहमति से बीमित द्वारा किया गया युक्तिसंगत खर्च या निर्यातक से वसूली करने के उद्देश्य से निगम द्वारा किया गया खर्च या बीमित ऋण के संबंध में किसी अन्य स्रोत से किया गया खर्च किन्हीं भी पक्षकारों द्वारा वसूल की गई किसी राशि पर पूर्व प्रभार होगा।

13.

प्रकटन

निगम इस रक्षा से जुड़े या इस रक्षा की विषय-वस्तु से जुड़े किन्हीं पत्रों, लेखों या बीमित के कब्जे अथवा नियंत्रण में पड़े अन्य दस्तावेजों की किसी भी समय जांच कर सकता है या प्रतियां ले सकता है और बीमित निगम के अनुरोध पर निगम को अपने कब्जे या अपनी शक्ति की किसी सूचना को अपने खर्च पर आपूर्त करेगा और इस रक्षा के संबंध में या इस रक्षा से जुड़े किसी तीसरे पक्षकार की कोई सूचना या दस्तावेज प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत कदम उठाएगा।

14.

निरस्तीकरण

निगम असत्य कथन, धोखाधड़ी, वास्तविक तथ्यों को प्रकट न करने या बीमित के असहयोग के आधार पर बीमित को उसके अंतिम ज्ञात पते पर पावती सहित पंजीकृत डाक से लिखित 15 दिनों की नोटिस देकर किसी भी समय इस रक्षा को निरस्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में बीमित को उस समय अंतिम भुगतान प्रीमियम में से रक्षा के भाग को यथानुपात घटाकर जो समाप्त हो गया होता, निगम वापस कर देगा।

11.5 Any amount paid by the Corporation to the Insured under this Cover, in respect of an **Insured Debt** or part thereof, shall become due and refundable by the Insured to the Corporation together with interest thereon at the prevailing base rate of State Bank of India or any other similar rate, if in the opinion of the Corporation, the Insured failed or neglected to take all necessary measures or actions as required in pursuance of sub clause 11.1 above or to effectively carry on any such measures or actions to bring it to its logical conclusion.

12. **Recovery expenses:**

Any expenses reasonably incurred by the Insured with the consent of the Corporation or by the Corporation for the purpose of effecting recoveries from the **Exporter** or from any other source in respect of an **Insured Debt** shall be a prior charge on any amounts recovered by either of the parties.

13. **Disclosure**

The Corporation may at any time examine or take copies of any letters, accounts or other documents in the possession or control of the Insured relating to or connected with this Cover or connected with the subject matter of this Cover and the Insured shall at the request of the Corporation supply to the Corporation any information in his possession or power and take at his own costs any reasonable steps to obtain for the Corporation any information or the sight of any document in the possession of any third party relating to or connected with this Cover.

14. **CANCELLATION**

The Corporation may at any time, cancel this Cover on grounds of mis-representation, fraud, non disclosure of material facts or non-co-operation of the Insured, by giving 15 days notice in writing by Registered post Acknowledgment Due post to the Insured at his last known address in which case the Corporation shall return to the Insured the then last paid premium less a pro rata part thereof for the portion of the Cover which shall have expired.

भाग - III परिभाषाएं

“खरीदार/लाभार्थी” अनुसूची में इंगित इंटिटी जिसके पक्ष में बीमित ने गारंटी जारी किया है या साख पत्र खोला है।

“संपाश्विक सुरक्षा” बंधक, प्रभार, गिरवी, धारणाधिकार या अन्य सुरक्षा जिनका समान प्रभाव हो, जो निर्यातक या निर्यातक के लाभ के लिए बीमित के तीसरे पक्षकार द्वारा बीमित के बीमित ऋण की सुरक्षा के लिए उपबंध किया गया हो, विशेष रूप से प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट।

“संविदा” खरीदार/लाभार्थी और निर्यातक द्वारा प्रविष्ट सामग्री और/या सेवाएं आपूर्त करने के लिए अनुसूची में इंगित वाणिज्यिक संविदा।

“निर्यातक” अनुसूची में उल्लिखित ग्राहक/बीमित का ग्राहक जिसकी ओर से बीमित ने गारंटियां जारी किया है और/या साख पत्र खोला है।

“दिवालियापन” निर्यातक को इस रक्षा के उद्देश्य से दिवालिया माना जाएगा यदि निर्यातक:

(क) सक्षम न्यायाल द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, या

(ख) अपने ऋणदाता के लाभ के लिए वैध समनुदेशन, संरचना या अन्य व्यवस्था किया हो, या

(ग) (निर्यातक) की संपदा के प्रबंधन के लिए रिसीवर नियुक्त किया गया हो, या

(घ) एक निगमित निकाय हो -

(i) अनिवार्य बंदी के लिए आदेश पारित किया गया हो या ;

(ii) स्वैच्छिक बंदी के लिए एक प्रभावी संकल्प पारित किया गया हो बशर्ते ऐसा संकल्प केवल पुनर्संरचना या आमेलन के लिए न हो, या

(ड) सभी ऋणदाताओं पर न्यायालय द्वारा बाध्यकारी व्यवस्था की मंजूरी दी गई हो, या

(च) निगमित या अनिगमित निकाय हो, ऐसे शर्तें मौजूद हों जो किन्हीं पिछली शर्तों से पर्याप्त रूप से समान हों।

“बीमित ऋण” अनुसूची में यथा उल्लिखित गारंटियों और/या साख पत्रों के जारी होने की तारीख पर समतुल्य भारतीय रूप्यों में बीमित द्वारा जारी गारंटियों और/या साख पत्रों का मूल्य।

PART - III

DEFINITIONS

"BUYER/BENEFICIARY" The entity indicated in the Schedule in whose favour the Insured has issued Guarantee or opened Letters of Credit.

"COLLATERAL SECURITY" A mortgage, charge, pledge, lien or other security having a similar effect which is provided by the **Exporter** or a third party to the Insured for the benefit of the **Exporter**, for securing the **Insured Debt** of the Insured, more particularly specified in the Proposal.

"CONTRACT" The commercial contract indicated in the Schedule for supply of goods and/or services, entered into by the **Buyer/Beneficiary** and the **Exporter**.

"EXPORTER" The client / customer of the Insured mentioned in the Schedule on whose behalf the Insured has issued Guarantees and/or opened Letters of Credit.

"INSOLVENCY" The Exporter shall be deemed to be insolvent for the purpose of this Cover if the Exporter:

- (a) has been declared insolvent by the competent Court of Law or
- (b) has made a valid assignment, composition or other arrangement for the benefit of his creditors, or
- (c) a Receiver has been appointed to manage the (Exporter's) estate, or
- (d) is an incorporated body –
 - (i) an order has been made for compulsory winding up or;
 - (ii) an effective resolution has been passed for voluntary winding up provided that such resolution is not merely for the purpose of reconstruction or amalgamation, or
- (e) an arrangement binding on all the creditors has been sanctioned by the Court, or
- (f) is an incorporated or unincorporated body, such conditions exist as are substantially equivalent to any of the foregoing conditions.

"INSURED DEBT" The value of Guarantees and/or Letters of Credit issued by the Insured in equivalent Indian Rupees as on the date of issue of the Guarantees and/or Letters of Credit, as stated in the Schedule.

“लंबे चूक” का अर्थ है बीमित को इसकी मांग के 120 दिनों के भीतर बीमित को देय बकाया बीमित ऋण या उसके भाग को वापस करने की निर्यातक की लापरवाही या विफलता किंतु निर्यातक द्वारा संपूर्ण दायित्व या उसके किसी भाग के संबंध में विवाद के कारण बीमित को भुगतान न किया जाना लंबा चूक नहीं माना जाएगा।

“धसूली” का अर्थ है धनराशि (दिवालिए की संपदा से मिलने वाले लाभांश की अदायगी या देय सहित) जो प्रतिभूतियों, क्षति, गारंटी, कार्रवाई के अधिकार, प्रतिदावा या सेट-आफ या अन्य अधिकार या बीमित द्वारा धारित लाभ या निर्यातक की कर्ज राशि को घटाने के लिए अन्यथा उपलब्ध क्षति।

कृते ई सी जी सी लिमिटेड

स्थान:

तारीख:

"PROTRACTED DEFAULT" means neglect or failure of an **Exporter** to repay any outstanding **Insured Debt** or part thereof due to the Insured within 120 days of its recall but non-payment by an **Exporter** owing to genuine dispute with regard to the whole or any part of his liability to the Insured may not amount to protracted default.

"RECOVERY" means the amount of moneys that may be realized from (including dividends paid or payable out of an insolvent estate), securities, indemnities, guarantees, right of action, counter claim or set off or other rights or advantages held by the Insured or other wise available for the purpose of reducing the amount of any indebtedness of the **Exporter**.

For E C G C Limited

Place: Mumbai

Date: